

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 437-एक/13

जिला - मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-12-14	<p>प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 83/2011-12/निगरानी माल में पारित आदेश दिनांक 23.1.13 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है।</p> <p>2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम मौजा तिलावली स्थित खातों के संबंध में उभयपक्ष के मध्य बटवारा आदेश दिनांक 10.8.07 को पारित किया गया। अनावेदक लाखनसिंह आदि द्वारा इस आदेश के विरुद्ध अवधि बाह्य अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष पेश की जिसमें आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आपत्ति की गई कि असल अनावेदकगण प्रश्नाधीन भूमि के सहकृषक नहीं है और न उनका हिस्सा है न उन्होंने भूमि कय की है। यदि वे अपना हित रखते हैं तो उसका निराकरण सिविल न्यायालय से कराया जा सकता है। अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदकों द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत प्रस्तुत आवेदन को आदेश दिनांक 25.4.12 द्वारा इस आधार पर निरस्त किया कि उक्त आवेदन का निराकरण अंतिम समय किया जायेगा। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकों ने अधीनस्थ न्यायालय में निगरानी पेश की जो अपर कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त की है। अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।</p> <p>3- दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये। आवेदक अधिवक्ता द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रकरण में समवर्ती निर्णय</p>	

स्थान तथा  
दिनांक

हैं। तथाकथित बटवारा आदेश पंजी पर किया गया है जबकि पंजी पर बटवारा आदेश नहीं हो सकता है। इस संबंध में उनके द्वारा 1995 आर.एन. 25 का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

5- उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण बटवारे के संबंध में जो आदेश हुए थे उसके विरुद्ध प्रस्तुत अपील के निराकरण संबंधी है। अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आवेदकों द्वारा यह आवेदन किया गया कि प्रकरण प्रथमदृष्टि में प्रचलन योग्य नहीं है और अपील प्रस्तुत करने की अधिकारिता नहीं है इसके संबंध में अनुविभागीय अधिकारी ने आवेदन का निराकरण प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय किए जाने के आदेश दिए हैं तथा प्रकरण अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पर तर्क हेतु नियत किया गया है। इसके विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी में आलोच्य आदेश पारित हुआ है। प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए इस प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के जो निर्णय हैं वे औचित्यपूर्ण एवं न्यायिक प्रतीत होते हैं आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर अधीनस्थ न्यायालय में उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का यह निष्कर्ष सही है कि संहिता की धारा 32 के तहत कोई अतिरिक्त अधिकारिता या शक्ति नहीं है बल्कि प्रक्रिया या कार्यप्रणाली बावत उपबंध जब मौन हों तब तो आदेश दिया जा सकता है। दर्शित परिस्थिति में यह पाया जाता है कि इस स्तर पर प्रकरण में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

परिणामस्वरूप यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है।

उभयपक्षों को सूचना दी जाये एवं अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये।

  
सर्वस्य



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक

/निगरानी/2013 मुद्रैना

R 437-I/13

श्री केशव सिंह कुशवाह आदि  
द्वारा जमा दि. 1-2-13 को  
प्रस्तुत  
केशव सिंह  
जलकं वीर कौट  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

श्री केशव सिंह कुशवाह  
01-02-2013 (राजकोट)  
केशव सिंह

1. रामबाबू
2. मकरंद सिंह,
3. रामपाल
4. गोविन्द सिंह
5. राजबहादुर सिंह पुत्रगण कप्तान सिंह, जाति सिकरवार ठाकुर, निवासीगण ग्राम तिलावली, तहसील जौरा, जिला मुद्रैना (म.प्र.)


.... निगरानीकर्तागण

बनाम

1. लाखन सिंह
2. मेघ सिंह
3. छोटे सिंह पुत्रगण अजमेर सिंह,
4. कमलादेवी बेवा हाकिम सिंह
5. सुल्तान सिंह
6. माखन सिंह
7. रविन्द्र सिंह
8. देवेन्द्र सिंह पुत्रगण हाकिम सिंह
9. पप्पी बेवा पत्नी अजयपाल सिंह समस्त जाति ठाकुर, निवासीगण-ग्राम तिलावली, तहसील जौरा, जिला मुद्रैना (म.प्र.)

...असल अनावेदकगण

10. बाबूलाल
11. मुरारीलाल
12. हरीपाल
13. गोरेलाल
14. दर्शनलाल पुत्रगण काशीराम जाति कुशवाह, निवासी ग्राम मेड़ा परगना जौरा जिला मुद्रैना
15. रेवती पुत्री काशीराम पत्नी श्रीपंचम, जाति कुशवाह, निवासी- ग्राम-जौनारा, परगना जौरा, जिला मुद्रैना



( 2 )

16. चन्दनिया पुत्री काशीराम पत्नी  
लाखन सिंह कुशवाह, निवासी ग्राम  
पचेखा, तहसील कैलारस जिला  
मुरैना
17. श्रीमती प्रयागो पुत्री काशीराम पत्नी  
लक्ष्मण कुशवाह निवासी ग्राम पेड़ा,  
परगना जौरा, जिला मुरैना
18. धनवंती पुत्री परसादी कुशवाह
19. छिद्दा पुत्री उमराय कुशवाह,  
निवासी ग्राम पेड़ा, तहसील जौरा,  
जिला मुरैना
20. रतन सिंह पुत्र हरप्रसाद जाति  
कुशवाह, निवासी- ग्राम तालपुरा,  
तहसील जौरा, जिला मुरैना
21. मुन्ना पुत्र शंकरिया कुशवाह
22. रम्पो उर्फ रम्मो पुत्री शंकरिया  
कुशवाह
23. सलिका
24. ल्हौरे पुत्रगण कमता कुशवाह
25. सुन्दरिया
26. भागो
27. फूलो पुत्रीयान कमता कुशवाह  
समस्त जाति कुशवाह, निवासी ग्राम  
पेड़ा, तहसील जौरा, जिला मुरैना
28. जयसिंह
29. मनराखन सिंह पुत्र रेशम सिंह
30. शारदाबाई पुत्री रेशम सिंह
31. पदम सिंह
32. फेरन सिंह
33. जगदीश सिंह
34. रामवीरसिंह
35. ध्रुव सिंह
36. वकील सिंह पुत्रगण बज्र सिंह, जाति  
सिकरवार ठाकुर, निवासीगण-ग्राम  
तिलावली, तहसील जौरा, जिला  
मुरैना
37. जहान सिंह पुत्र प्रयाग सिंह

*Original*

( 3 )

38. शिवदत्त सिंह पुत्र प्रयाग सिंह जाति  
सिकरवार ठाकुर, निवासी-ग्राम  
तिलावली, परगना जौरा, जिला मुर्ना  
(म.प्र.)

अनादिदकगण